न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 31/2026

मोहसीन रशीद खान निवासी राज टाकीज रोड, वार्ड नं. 19 टोंक जिला टोंक राज0

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 15.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 19.01.2026 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :–

1. कार्यालय नगर पालिका मंडल निवाई द्वारा जारी किया गया पत्र क्र. 6813 दिनांक 29.01.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कटाएं।
2. निवाई में संचालित समस्त महाविद्यालयों जिनको कार्यालय नगर पालिका मंडल निवाई द्वारा वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं वर्ष 2025 में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं उनकी वर्ष वार सूची प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक के साथ दें एवं उनको जारी किए गए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रदान करें।
3. निवाई में संचालित समस्त महाविद्यालयों की सूची उनके आवेदन की दिनांक के साथ प्रदान करें जिन्होंने वर्ष 2022, 2023 2024 और 2025 में कार्यालय नगर पालिका मंडल निवाई से अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हो ।
4. कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उनियारा, द्वारा जिस भी महाविद्यालय को पत्र क्रमांक 201 वर्ष 2024, पत्र क्रमांक 149 वर्ष 2025 में जारी किए गए पत्र की, या कार्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उनियारा की किसी भी शाखा से दिए गए क्रमांक का पत्र जारी किया गया है तो उक्त पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 542 दिनांक 19.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 132 दिनांक 07.04.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के बिन्दु संख्या 1 ता. 3 का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका निवाई कार्यालय से होने से उनके पत्र कमांक 65 दिनांक 21.01.2026 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 66 दिनांक 21.01.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है ओर बिन्दु संख्या 4 की सूचना भिन्न भिन्न विभाग से होने के कारण पृथक से प्राप्त करने हेतु भी सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका निवाई के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका निवाई के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

जिला कलेक्टर
टोंक

819

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक